...लय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

...1/18/2022

तारीख रजू ____________

नवलसिंह ____________ बनाम ~~अतरसिंह वगैरा~~

...ख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...6.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा 1294, 1295, 1443, 1482, 1486, 1487, 1488, 1490, 785,वाके ग्राम सौंख तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 20.06.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 20.06.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज० 20/6/22 ____ वकील प्रार्थी ____ उपस्थित ... दिनांक ____ ... तलबी रजि डाक से ... 14/7/22 ____ को पेश हो। 14/7/22 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अ...	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1/3/24	वकील सायल उपस्थित। सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र मय शपथ के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि उक्त विवादित आराजियात वाके ग्राम रसौरवा तह० कदुआ में स्थित है। विवादित आराजीत सायल व गैरसायलान कि सामलात कब्जे काश्त खातेदारी की की अराजियात है जिसका तकसीम नहीं हुआ दोनो पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्तकारी करते आ रहे हैं। दोनो पक्षकारों में मनमुटाव हो गया जिसके कारण वह अच्छी को अच्छी एवं बुरी को बुरी का तकासमा करना चाहते हैं। गैरसायल जबरदस्त किस्म का व्यक्ति है जो बिना किसी हक व अधिकार के विवादित आराजियात पर कब्जा कर सायल को बेदखल करने पर आमादा है अगर गैरसायल अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गया तो सायल के हक व हुकूक पर विपरीत/गलत असर पड़ेगा और सायल तबाह व बरबाद हो जायेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव है। इसलिये गैरसायल को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजि० किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.8.2023 को गैरसायलान बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता सायल की एकपक्षीय बहस सुनी। विद्वान सायल ने अपने प्रा० पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र मय शपथ स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवा...	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान सायल को इकरा आराजी से बेदखल कर सकते हैं गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकसान व क्षति या असुविधा हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं न पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में वजूद साबित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 3.6.2022 को ता दावा फैसला या मूल वाद के निस्तारण तक बरकरार किया जाता है। प्रार्थना-पत्र पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी कर हो मूल वाद के साथ संलग्न हो।	
	सुनाया	
	हस्ता.	
	उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर (अलवर) राज०	